

जिला-वैशाली।

न्यायालय: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।
उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

आपराधिक विविध वाद संख्या-70 / 2025

आशुतोष कुमार

.....आवेदक।

बनाम्

बिहार सरकार एवं अन्य

.....विपक्षीगण।

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता

—श्री नंद किशोर झा।

08.06.2026

बार-बार पुकारने पर कोई उपस्थित नहीं हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें इस विविध वाद में कोई अभिरुचि नहीं है। विगत तेरह तिथियों से आवेदक अनुपस्थित है। इस विविध वाद को प्रचालित नहीं किये जाने के कारण **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

(हर्षित सिंह)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।